

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) और भारत में पर्यावरण संरक्षण: एक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन

रूपम

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, मेरठ

डॉ0 सोनिका नागर

सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान विभाग

कनोहर लाल स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, मेरठ

ईमेल: sonikanagar238@gmail.com

Reference to this paper should
be made as follows:

Received: 06-05-26

Approved: 30-06-26

रूपम

डॉ0 सोनिका नागर

राष्ट्रीय हरित अधिकरण
(एन0जी0टी0) और भारत में
पर्यावरण संरक्षण: एक
आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक
अध्ययन

Vol. XVII, Sp. Issue July.2026

Article No.11, Pg. 067-072

Similarity Check: 01%

Online available at

<https://anubooks.com/special-issues?url=jgv-si-klsmm-mrt-july-2026>

DOI: <https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI07.011>

सारांश

वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्याएँ वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन चुकी हैं। भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। औद्योगीकरण और शहरीकरण के दौर में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ, परिणामस्वरूप वायु, जल एवं भूमि प्रदूषण जैसी समस्याएँ पैदा होने लगी तथा इन परिस्थितियों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रभावी और न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म दिया। एन0जी0टी0 की स्थापना पर्यावरणीय विवादों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से की गई थी। एन0जी0टी0 ने पर्यावरण संरक्षण और संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसके अलावा एन0जी0टी0 पर्यावरणीय न्याय, सतत विकास तथा जन जागरूकता को मजबूत करने में योगदान दिया है।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय न्याय, सतत विकास, प्रदूषण नियंत्रण।

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of JGV.*

प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन और औद्योगिक प्रगति के कारण जब परिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुँचने लगा, तब पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता ने जोर पकड़ा। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों तक पर्यावरण हितैषी नीतियों का दायरा बहुत ही संकुचित था।³ अर्थात् औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल तक भारत में पर्यावरण संरक्षण की विस्तृत नीतियाँ नहीं थी। पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा नहीं बन पाया, क्योंकि उस समय देश गरीबी से पीड़ित था। देश का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, औद्योगिकरण तथा राष्ट्रीय सुरक्षा था, परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण चिंता का विषय नहीं था। भारतीय परम्परा में वैदिक काल से ही पर्यावरण को अत्यधिक महत्व दिया जाता रहा है।⁴ प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों में प्रकृति को केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि माता और देवत्व के रूप में देखा गया है। सूर्य, वायु, पेड़, और अग्नि पूजा की परम्परा प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान, पूँजीवाद और कच्चे माल के दोहन के कारण पर्यावरण का शोषण हुआ, जिसके विरुद्ध भारतीयों ने पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन किए।

स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ने भारतीय सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर आकर्षित किया।⁵ इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्टॉकहोम सम्मेलन में सक्रिय भूमिका निभायी थी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48(A) एवं अनुच्छेद 51(A)g पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक आधार प्रदान करते हैं।⁶ इसके सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है।⁷ NGT ने इन संवैधानिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान कर पर्यावरणीय न्याय को सुलभ बनाया है।

NGT की स्थापना : पृष्ठभूमि

तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण के दौर में भारत में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता स्पष्ट रूप से सामने आयी है तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्योगों, शहरी विस्तार, खनन आदि को प्राथमिकता दी गई जिससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ। नदी प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता ह्रास तथा औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण संकट के कारण बने। इस स्थिति ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता को जन्म दिया।

1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। जिससे पर्यावरण संरक्षण को विश्व स्तर पर एक नई दिशा मिली। इसके बाद भारत सरकार ने पर्यावरण सम्बन्धी कानून और नीतियों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार की विस्तृत व्याख्या पर स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को नागरिकों का मूल अधिकार माना है।⁷

एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार जैसे मामलों में न्यायपालिका ने पर्यावरणीय न्याय को नई दिशा दी। इन निर्णयों द्वारा 'सतत विकास', 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' तथा पूर्व सावधानी सिद्धांत को भारतीय कानून व्यवस्था में महत्व दिया गया।⁸

भोपाल गैस त्रासदी, 1984 ने भारतीय पर्यावरण सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर किया, क्योंकि जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोग मरे तथा लाखों प्रभावित हुए।⁹ इस त्रासदी से स्पष्ट हुआ कि पर्यावरणीय मामलों के लिए सामान्य न्यायालय पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। सामान्य न्यायालयों में इन मामलों के निस्तारण में अधिक समय लगता था इसलिए एक विशेष न्यायाधिकरण की आवश्यकता महसूस की गई। ए०पी० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम एम०वी० नायडू मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण सम्बन्धी मामलों के प्रभावी और त्वरित समाधान के लिए विशेषज्ञ न्यायपालिका की स्थापना की आवश्यकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी घोषणाओं और समझौतों को स्वीकार किया गया। इन परिस्थितियों के बाद भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया तथा 18 अक्टूबर 2010

को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की।¹⁰ NGT की स्थापना भारतीय पर्यावरण न्याय व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई तथा पर्यावरण व्यवस्था को विधिगत तथा संस्थागत मजबूती प्रदान की।

एन०जी०टी० अधिनियम 2010

भारत में पर्यावरण की बढ़ती समस्या तथा पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निस्तारण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 पारित किया गया। इससे पहले पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई सामान्य न्यायालयों में होती थी, जहाँ अधिक संख्या में मामले तथा तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण न्याय मिलने में अधिक समय लगता था। पर्यावरणीय मामलों के तीव्र, प्रभावी और विशेषज्ञतापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से संसद ने यह अधिनियम पारित किया। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा (और पहला विकासशील) देश बन गया। इससे पहले केवल आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई थी।

अधिनियम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वन एवं प्राकृतिक संसाधनों से सम्बन्धित मामलों का त्वरित निस्तारण तथा पर्यावरणीय क्षतिग्रस्त लोगों को राहत और मुआवजा उपलब्ध करना है। NGT अधिनियम 2010 द्वारा पर्यावरणीय मामलों में विशेषज्ञता आधारित न्याय प्रदान किया जाता है जिससे विवादों के वैज्ञानिक पक्ष को समझने तथा उचित निर्णय देने में सहायता मिलती है। इस अधिनियम के अनुसार NGT द्वारा किसी भी मामले का निस्तारण 6 माह के भीतर किया जाए।

NGT के उद्देश्य, संरचना एवं कार्यप्रणाली

भारत में पर्यावरणीय न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गयी। जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय विवादों का त्वरित समाधान करना है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते दोहन के कारण पर्यावरणीय समस्याएँ लगातार गंभीर होती जा रही हैं।¹¹ इन समस्याओं ने मानव जीवन के साथ-साथ प्राकृतिक संतुलन को भी प्रभावित किया है। इन परिस्थितियों में पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिये एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गयी जो पर्यावरण सम्बन्धी मामलों की कानूनी और तकनीकी जटिलताओं को समझते हुए उनका उचित समाधान कर सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 2010 में NGT की स्थापना की गयी।

NGT का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय न्याय की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बनाना है। चूँकि पर्यावरणीय विवादों की प्रकृति सामान्य मामलों से भिन्न होती है, इसलिए सामान्य न्यायालयों में पर्यावरण से जुड़े मामलों के निस्तारण में अत्यधिक समय लगता था, जिसके कारण प्रभावित लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता था।¹² इसलिए NGT को एक विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण के रूप में स्थापित किया गया, जहाँ न्यायिक विशेषज्ञों के साथ-साथ तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। इससे पर्यावरण सम्बन्धी विवादों की सुनवाई और उनके समाधान में अधिक व्यावहारिकता आयी।

NGT का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरणीय मामलों का त्वरित निस्तारण करना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 में की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकरण पर्यावरण सम्बन्धी मामलों का निपटारा 6 माह के भीतर करने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त NGT विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था अनेक अधिनियमों जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, जल संरक्षण अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत उत्पन्न विवादों की सुनवाई करता है।

NGT का उद्देश्य न केवल पर्यावरणीय विवादों का समाधान करना है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास को बढ़ावा देने में भी यह संस्था अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकरण ने 'सतत विकास', 'प्रदूषक

भुगतान सिद्धांत' तथा 'पूर्व सावधानी सिद्धांत' जैसे पर्यावरणीय सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया है। जिनके माध्यम से विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। साथ ही पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को उत्तरदायी ठहराकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि 'आर्थिक विकास पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर नहीं किया जा सकता।'

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की संरचना भी इसकी स्थापना के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। वस्तुतः यह केवल एक कानूनी संस्था नहीं है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता का भी समावेश किया गया है जो इसे सामान्य न्यायालयों से अलग बनाती है। NGT में एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा विशेषज्ञ नियुक्त किये जाते हैं।¹³ सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्तर के व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।¹⁴ जबकि पर्यावरण विज्ञान, वन संरक्षण, परिस्थितिकी, जल संसाधन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को विशेषज्ञ सदस्य के रूप में चुना जाता है। साथ ही कानूनी पक्षों की व्यवस्था के लिए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।

NGT की प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थित है। जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में अन्य क्षेत्रीय पीठों की स्थापना करके क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पर्यावरणीय न्याय दिलवाना सुलभ हुआ है।

NGT की महत्ता उसकी प्रभावी कार्यप्रणाली में भी परिलक्षित होती है। इसकी कार्यप्रणाली सामान्य न्यायालयों की तुलना में अधिक सरल एवं लचीली है, चूँकि यह संस्था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है, जबकि सामान्य न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कठोर नियमों से बंधे हैं। NGT की कार्यवाही में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को विशेष महत्व दिया जाता है। यह विशेषज्ञ पर्यावरणीय प्रभाव आँकलन, औद्योगिक प्रदूषण, अवैध खनन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़े मामलों में तकनीकी तथ्यों का विश्लेषण कर अधिकरण को उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करते हैं जो NGT के निर्णयों को अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक बनाता है।

NGT की कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पक्ष अधिकरण में जनहित याचिका का प्रावधान भी है, जिसे किसी भी व्यक्ति, सामाजिक संगठन अथवा पर्यावरणीय संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित होती है। अधिकरण ने समय-समय पर वायु प्रदूषण, नदी प्रदूषण, गैस अपशिष्ट प्रबंधन तथा अवैध खनन जैसे अनेक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय देकर सरकारी तथा प्रशासनिक संस्थाओं को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के प्रति अधिक जागरूक और जवाबदेह बनाया है।

NGT का अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियाँ

NGT की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण के रूप में की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय विवादों का प्रभावी एवं त्वरित निस्तारण करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकरण को व्यापक अधिकार भी प्रदान किये गये हैं। वस्तुतः NGT का अधिकार क्षेत्र में केवल सामान्य न्यायिक मामले ही शामिल नहीं हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग आदि से जुड़े विभिन्न विषय भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की अनुसूची-1 में उल्लिखित प्रमुख कानून जिनमें जल अधिनियम, 1974 वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वायु अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, तथा जैव विविधता अधिनियम, 2002 प्रमुख हैं, की सुनवाई NGT करता है।

यदि कोई व्यक्ति, उद्योग अथवा संस्था पर्यावरण को क्षति पहुँचाता है तो अधिकरण उस पर जुर्माना लगाने तथा मुआवजा निर्धारित कर पर्यावरणीय हानि की भरपाई करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसे 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' कहते हैं। इसके साथ ही NGT पर्यावरणीय समस्याओं से प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत प्रदान करने का अधिकार भी रखता है।

NGT पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी कर सकता है। यह विभिन्न प्रदूषणकारी गतिविधियों को नियंत्रित करने, उद्योगों तथा निर्माण कार्यों पर रोक लगाने तथा अवैध खनन को प्रतिबंधित करने जैसे आदेश दे सकता है। NGT के निर्णयों का पालन करना सम्बन्धित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और ऐसा न होने पर दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सिद्धांतों जैसे 'सतत विकास', पूर्व सावधानी सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत आदि पालन करवाना भी NGT की कार्यवाही में शामिल है।

इस प्रकार NGT के व्यापक अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों ने भारत में पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया है तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्तरदायित्व और जवाबदेही को बढ़ावा दिया है।

पर्यावरण संरक्षण में NGT का महत्व

वर्तमान में पर्यावरण संकट न केवल प्राकृतिक समस्या है, बल्कि यह मानव जीवन के सामाजिक-आर्थिक विकास तथा भावी पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ी समस्या है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई तथा जैव विविधता में लगातार गिरावट से प्रतीत होता है कि यदि पर्यावरण संरक्षण प्रभावी रूप से लागू नहीं किया तो मानव सभ्यता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) भारत में पर्यावरण संरक्षण का साधन बनकर उभरा है। NGT ने पर्यावरण संरक्षण को न केवल सरकारी नीतियों तक पहुँचाया है, बल्कि लोकहित से जोड़ने का काम किया है और पर्यावरणीय न्याय को आम आदमी के लिए सुलभ बनाया है।

पहले सामान्य क्रियाकलापों में पर्यावरणीय मामलों की सुनवाई में सालों लगते थे तथा आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीणों को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। NGT ने इस स्थिति को बदला और पर्यावरणीय मामलों के लिए एक सरल न्यायिक मंच उपलब्ध कराया।¹⁵ इसके द्वारा प्रभावित लोग, सामाजिक संगठन एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सीधे अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे पर्यावरणीय अधिकारों के प्रति लोगों की जागरूकता एवं सहभागिता में वृद्धि हुई है तथा NGT ने विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। NGT के निर्णयों के अनुसार विकास कार्य सतत विकास सिद्धांत के अनुरूप होने चाहिए। इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि पर्यावरण संरक्षण और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। NGT ने पर्यावरणीय दायित्व को बढ़ाया है कि कोई व्यक्ति संस्था पर्यावरण को क्षति पहुँचाकर दायित्व मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत द्वारा NGT ने प्रदूषण फैलाने उद्योग पर आर्थिक दंड लगाया तथा पर्यावरणीय पुनर्स्थापना के लिए बाध्य किया। साथ ही पूर्व सावधानी सिद्धांत को लागू कर NGT ने पर्यावरण सम्बन्धी खतरे को रोकने का प्रयास किया है।

पर्यावरण संरक्षण में NGT का योगदान केवल विधिक निर्णयों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में पर्यावरणीय चेतना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज लोग स्वच्छ वायु एवं जल और स्वस्थ पर्यावरण को अपने मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं, यह बदलाव भारत में पर्यावरणीय न्याय व्यवस्था की एक उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारत में पर्यावरणीय न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक संस्था के रूप में स्थापित की गई है। प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन ने प्रकृति तथा मानव दोनों के अस्तित्व को चुनौती दी है। भारत जैसे विकासशील देश में यह और अधिक गंभीर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण संरक्षण तथा आर्थिक विकास दोनों समान रूप से उपयोगी है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि NGT की स्थापना में न्यायिक संस्था के रूप में पर्यावरण संतुलन और सतत विकास को सुनिश्चित रखने के उद्देश्य से की गई थी जहाँ न्यायिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संविधान में राज्य के कर्तव्य और नागरिकों के दायित्व के रूप में स्वीकार किया है तथा ने संवैधानिक मूल्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व ही नहीं है, बल्कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। NGT के निर्णय, दिल्ली एन०सी०आर० में वायु प्रदूषण नियंत्रण, अवैध खनन पर रोक, गंगा-यमुना नदी संरक्षण तथा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि NGT के समक्ष अनेक चुनौतियाँ एवं सीमाएँ हैं। कई बार राज्य सरकार और प्रशासनिक संस्थाएँ NGT के निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं करती हैं। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सम्बन्धी कानून तथा NGT के प्रति जागरूकता की कमी भी एक गंभीर चुनौती है।

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भारत में पर्यावरणीय लोकतंत्र को मजबूत किया है। साथ ही, पर्यावरणीय अधिकारों के प्रति आम जनता को जागरूक किया है। भविष्य की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए NGT को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, रिक्त पदों की शीघ्र नियुक्ति करना, तथा आदेशों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय न्याय की दिशा में NGT एक संस्थागत उपलब्धि है। आधुनिकीकरण और शहरीकरण के दौर में पर्यावरण संकट बढ़ रहा है। ऐसे में NGT की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः यह संस्था केवल न्यायाधिकरण नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के मध्य संतुलन बनाए रखने वाला एक माध्यम के रूप में उभरी है।

संदर्भ

1. भारत सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (नई दिल्ली : विधि एवं न्याय मंत्रालय, 2010)
2. गीताजंलि नैन गिल, एनवायरमेंट जस्टिस इन इण्डिया : द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (लंदन : राउटलेज, 2026)
3. माधव गौडगिल एवं रामचन्द्र गुहा, इकोलॉजी एण्ड इक्विटी : द यूज एण्ड एब्यूज ऑफ नेचर इन कंटेम्परेरी इण्डिया नई दिल्ली, पेंगुइन बुक, 1995)
4. संयुक्त राष्ट्र, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम, 1972) की रिपोर्ट (न्यूयार्क : संयुक्त राष्ट्र, 1973)
5. भारत का संविधान, अनुच्छेद 48A एवं 51A(g)
6. एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ।
7. सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, AIR 1991 SC 420
8. वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ, AIR 1996 SC 2715.
9. उपेन्द्र बख्शी एवं थॉमस पॉल, मास डिजास्टर्स एण्ड मल्टीनेशनल एबिलिटी : भोपाल केस नई दिल्ली एन०एम० त्रिपाठी, 1986
10. राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 धारा 19 नई दिल्ली : विधि एवं न्याय मंत्रालय, 2010
11. श्याम दीवान एवं आर्मिन रोसेन क्रांज, भारत में पर्यावरण विधि एवं न्याय द्वितीय संस्करण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पृ० 95-108
12. पी० लीलाकृष्णन, भारत में पर्यावरणीय विधि लेक्सिस नेक्सिस प्रकाशन नई दिल्ली।
13. धारा 4 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010।
14. धारा 5 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010।
15. डॉ० नागेश सदानन्द कोलवलकर, “द रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन : ए क्रिटिकल रिव्यू”, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, 2025